

GOVT OF NCT OF DELHI,  
DEVELOPMENT DEPARTMENT

5/9 UNDER HILL ROAD, DELHI:110054.

Phone No. 23941773-23930783

EMAIL : cdevelop@nic.in

No. F.4(121)/PDRD/Vidhan Sabha Q/2023/1728-30

Dated:13/12/2023

To,

The Deputy Secretary(Question Branch),  
Delhi Legislative Assembly  
Old Sectt, Delhi : 110 054.

Sub : Vidhan Sabha Unstarred Question No.60 for 15.12.2023 by Hon'ble MLA  
Sh.Durgesh Pathak

Sir,

With reference to subject cited above, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No.60 for 15.12.2023 by Hon'ble MLA Sh.Durgesh Pathak duly authenticated by competent authority. Reply is also being provided in Soft copy PDF format.

This issues with the prior approval of Minister-incharge.


Encl : As above.

No. F.4(121)/PDRD/Vidhan Sabha Q/2023/

Copy forwarded to :

1. OSD to Hon'ble Minister(Development), Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, Delhi-110002.
2. The Director, Directorate of Information and Publicity, Govt of NCT of Delhi, Old Sectt, Delhi : 110 054 along with 150 copies of the reply for distribution of the house

Yours faithfully,



(Gurpreet Singh)

Deputy Director (RD)

Deputy Director

Rural Development Deptt.

Govt. of NCT of Delhi  
Kashmere Gate, Delhi-110006

Dated:13/12/2023

(Gurpreet Singh)  
Deputy Director (RD)

विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली - 54

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 60

दिनांक :- 15.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम :- माननीय श्री दुर्गेश पाठक

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि वर्तमान में, यदि अनुमान डीएसआर 2016 संगत हैं, तभी निधियों की स्वीकृति ग्रामीण विकास/दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड निधि द्वारा ही दी जाती है	जी हां, यह सत्य है कि वर्तमान में, यदि अनुमान डीएसआर 2016 संगत हैं, तभी निधियों की स्वीकृति ग्रामीण विकास/दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड निधि द्वारा ही दी जाती है
ख	क्या यह भी सत्य है कि इसके कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि मौजूदा दरें डीएसआर 2016 में निर्दिष्ट दरों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं और	जी नहीं, डीवीडीबी की 11वीं बैठक दिनांक 07.07.22 के निर्णय के अनुसार प्रस्ताव डीएसआर 2016 के आधार पर ही स्वीकृत किये जाएंगे जब तक कि दिल्ली सरकार अधतन डीएसआर को लागू नहीं करती है।
ग	यदि हां, तो कार्य के बेहतर कार्यान्वयन हेतु अधतन डीएसआर को अपनाए जाने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है	उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।

गुलज़ार सिंह

उपनिदेशक (ग्रामीण विकास)

Deputy Director  
Rural Development Deptt.  
Govt. of NCT of Delhi  
Kashmere Gate, Delhi-110006